



प्रेस नोट

थाना बढापुर

दिनांक -

29.03.2023

थाना बढापुर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 59/23 धारा
323/354/504/506 भादवि० का नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

|

घटना का संक्षिप्त विवरण.

दिनांक 28.03.23 को कस्बा बढापुर मे वादिनी पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर बदनीयत से वादिनी का हाथ पकडने , गाली गलौच व मारपीट करने के संबध मे वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर



मु०अ०सं०-59/23 धारा 323/354/504/506 भादवि बनाम शमीम पुत्र अ० कय्यूम नि० मौ० बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 29.03.2023 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शमीम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता.

1. शमीम पुत्र अ० कय्यूम नि० मौ० बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम.

1. उ०नि० श्री गजेन्द्र सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. आरक्षी 2454 अरविन्द थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. आरक्षी 1020 चिन्टू थाना बढापुर जनपद बिजनौर